रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042020-219013
CG-DL-E-06042020-219013

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 6, 2020/चैत्र 17, 1942
No. 90] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 2020/CHAITRA 17, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2020

मामला सं. (ओ.आई.) 21/2019

विषयः कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, यू ए ई और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मोनो एथेलीन ग्लाइकोल" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/29/2019-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान और उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :

क. पृष्ठभूमि

2. मामले की पृष्ठभूमि निम्नानुसार है :

i. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) को अधिनियम और नियमावली के अनुसार, घरेलू उद्योग की ओर से मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) से उक्त नियमावली के अंतर्गत एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें कुवैत, ओमान सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यू ए ई) और सिंगापुर (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी

कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मोनो एथीलीन ग्लाइकोल (एम ई जी या एथीलीन ग्लाइकोल) (जिसे आगे विचाराधीन उत्पाद या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति का आरोप लगाया गया है।

ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों द्वारा संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की पाटनरोधी जांच की शुरूआत की थी।

iii. तद्नुसार, प्राधिकारी ने कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, यूएई और सिंगापुर के मूल की अथवा वहां से निर्यातित टैरिफ मद 2905 31 00 के अंतर्गत वर्गीकृत मोनोएथीलीन ग्लाइकोल (एमईजी या एथीलीन ग्लाइकोल) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हुए दिनांक 9 दिसंबर, 2019 को भारत के राजपत्र – असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी।

ख. <u>घरेलू उद्योग से प्राप्त अनुरोध</u>

3. मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो संबद्ध जांच में घरेलू उद्योग है, ने 21 फरवरी, 2020 के अपने पत्र द्वारा सउदी अरब से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में जांच को समाप्त करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा कुवैत, ओमान, यू ए ई और सिंगापुर से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में जांच को जारी रखने और अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने के लिए अनुरोध किया गया है।

ग. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

4. घरेलू उद्योग, मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2020 के उनके पत्र में किए गए अनुरोध की जांच की गई है।

5. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 14(क) का पाठ निम्नानुसार है:

14. जांच समाप्त करना – निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी जांच को एक सार्वजनिक सूचना जारी करके तत्काल समाप्त कर देंगे यदि -

(क) उन्हें प्रभावित घरेलू उद्योग जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, की ओर से ऐसा करने के लिए लिखित अनुरोध प्राप्त होता है।

6. यह नोट किया जाता है कि नियम 14 में ऐसी कतिपय स्थितियों में जांच समाप्त करने का प्रावधान है, जिनमें ऐसी स्थिति शामिल है, जहां कंपनी द्वारा आवेदन वापस ले लिया जाता है। नियमावली के नियम 14(क) में प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी जांच को एक सार्वजनिक सूचना जारी करके तत्काल समाप्त कर देंगे यदि उन्हें प्रभावित घरेलू उद्योग जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, की ओर से ऐसा करने के लिए लिखित अनुरोध प्राप्त होता है।

7. वर्तमान जांच घरेलू उद्योग बनाने वाले मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर शुरू की गई थी। मै. इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड ने मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर आवेदन का समर्थन किया था। इस प्रकार, वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग एकमात्र एकल उत्पादक मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 14(क) में प्राधिकारी द्वारा उस स्थिति में जांच समाप्त किया जाना अपेक्षित है जबकि घरेलू उद्योग, जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, जांच समाप्त करने के लिए कोई लिखित अनुरोध प्रस्तुत करता है।

घ. <u>निष्कर्ष</u>

8. घरेलू उद्योग, मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किए गए पूर्वोक्त अनुरोध के मद्देनजर और नियमावली के नियम 14(क) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी एतद्वारा सऊदी अरब के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मोनोएथीलीन ग्लाइकोल (एम ई जी या एथीलीन ग्लाइकोल) के आयातों के विरूद्ध 9 दिसंबर, 2019 को शुरू की गई जांच को समाप्त करते हैं।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने केवल सउदी अरब से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में जांच समाप्त करने का अनुरोध किया है। इसलिए कुवैत, ओमान, यू ई ए और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के विरूद्ध 9 दिसंबर, 2019 को जारी की गई सार्वजनिक सूचना के अनुसार जांच जारी रहेगी।

ङ. <u>अपील</u>

10. इस आदेश के विरूद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2020

Case No. (O.I.) 21/2019

Subject: Anti-Dumping Investigation concerning imports of "Mono Ethylene Glycol" originating in or exported from Kuwait, Oman, Saudi Arabia, UAE and Singapore.

F. No. 6/29/2019- DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Rules"), thereof;

A. <u>BACKGROUND</u>

2. The background of the case is as follows:

i. The Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority"), under the above Rules, received an application from M/s. Reliance Industries Limited (RIL) on behalf of the domestic industry in accordance with the Act and the Rules, alleging dumping of "Mono Ethylene Glycol (MEG or Ethylene Glycol)" (hereinafter referred as "product under consideration" or "subject goods") originating in or exported from Kuwait, Oman, Saudi Arabia, United Arab Emirates (UAE), and Singapore (also referred to as "subject countries") and consequent injury to the domestic industry.

ii. The Authority, based on prima facie evidence of dumping of subject goods by the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury, initiated an anti-dumping investigation into the alleged dumping, and consequential injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules.

iii. The Authority accordingly issued a Public Notice dated 9th December 2019 published in the Gazette of India – Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of 'Mono Ethylene Glycol (MEG or Ethylene Glycol)', classified under the tariff item 2905 31 00, originating in or exported from Kuwait, Oman, Saudi Arabia, UAE and Singapore.

B. <u>REQUEST RECEIVED FROM THE DOMESTIC INDUSTRY:</u>

3. M/s. Reliance Industries Limited, the domestic industry in the subject investigation, *vide* its letter dated 21st February, 2020 has requested the Designated Authority to terminate the investigation in respect of imports of subject goods from Saudi Arabia. Further, it has been requested by the company to continue the investigation and recommend for imposition of provisional anti-dumping duty in respect of imports of subject goods from Kuwait, Oman, UAE and Singapore.

C. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

4. The request made by the domestic industry, M/s. Reliance Industries Limited, vide its letter dated 21st February, 2020, has been examined.

5. The Authority notes that Rule 14(a) of the Rules reads as under:

> *14. Termination of investigation. - The designated authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if –*
> *(a) it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated;*

6. It is noted that Rule 14 provides for termination of investigations in certain situations which includes a situation where the application is withdrawn by the company. Rule 14(a) of Rules provides that the Designated Authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated.

7. The present investigation was initiated based on an application filed by M/s. Reliance Industries Limited constituting the domestic industry. M/s. India Glycols Limited supported the application filed by M/s. Reliance Industries Limited. Thus, the domestic industry in the present case comprises of a single producer i.e. M/s. Reliance Industries Ltd. The Authority notes that Rule 14(a) of the Rules requires the Authority to terminate the investigation, once the domestic industry, at whose instance the investigation was initiated files a written request for termination of the investigation.

D. CONCLUSION

8. In view of the aforesaid request made by the domestic industry, M/s. Reliance Industries Limited and under the provisions of Rule 14(a) of the Rules the Designated Authority hereby terminates the investigation initiated on 9th December 2019 against the imports of 'Mono Ethylene Glycol (MEG or Ethylene Glycol)' originating in or exported from Saudi Arabia.

9. It is clarified that as the domestic industry has requested for termination of the investigation only in respect of imports of subject goods from Saudi Arabia, the investigation shall continue against the imports of subject goods originating in or exported from Kuwait, Oman, UAE and Singapore in accordance with the public notice issued on 9th December 2019.

E. APPEAL

10. An appeal against this order will lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.04.06 21:31:13 +05'30'